पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 13 मार्च, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

रबी विपणन वर्ष 2020–21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति निर्धारित

मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2020–21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति निर्धारित कर दी है।

भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति कुन्तल की दर पर रखा गया है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 55 लाख मी0 टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। कृषकों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक होने पर निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य से अधिक गेहूं भी क्रय किया जा सकेगा।

नीति के अनुसार 10 क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं क्रय किया जाएगा। गेहूं क्रय हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्रय एजेन्सियों के 5000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। किसान प्रदेश में किसी भी केन्द्र पर गेहूं विक्रय के लिए स्वतंत्र होंगे। गेहूं खरीद दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 15 जून, 2020 तक की जाएगी। समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूं क्रय का मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूं क्रय के यथासम्भव 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा। इससे कृषकों को उनकी गेहूं की उपज का प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

गेहूं विक्रय के पूर्व कृषक पंजीयन की अनिवार्यता रखी गई है तथा 100 कुन्तल से अधिक गेहूं विक्रय की दशा में कृषकों की उपज का राजस्व विभाग से

सत्यापन कराया जाएगा। इस वर्ष बटाईदार एवं अनुबन्ध पर खेती लेने वाले कृषकों (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) का भी पंजीकरण अनिवार्य होगा। क्रय एजेन्सियां अनिवार्य रूप से ऑनलाइन गेहूं क्रय की प्रक्रिया अपनाएंगी। गेहूं खरीद का प्रत्येक विवरण ई–उपार्जन मॉड्यूल पर करना होगा। केवल उसी खरीद को मान्यता दी जाएगी, जो ऑनलाइन फीड होगी।

रबी विपणन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय करने हेतु खाद्य विभाग की विपणन शाखा के लिए 10 लाख मी0टन0, उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम को 02 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0) को 1.50 लाख मी0टन, उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) को 25 लाख मी0टन0,, उ0प्र0 को–ऑपरेटिव यूनियन (यू0पी0सी0यू0) को 05 लाख मी0टन0, उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0 एग्रो) को 02 लाख मी0टन0,, नेशनल एग्रीकल्चरल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया (नेफेड) को 2.50 लाख मी0टन0, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ (यू0पी0एस0एस0) को 3.50 लाख मी0टन0, एन0सी0सी0एफ0 को 02 लाख मी0टन0 तथा भारतीय खाद्य निगम को 1.50 लाख मी0टन0 का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस वर्ष के लिए कुल 55 लाख मी0टन0 गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद में गेहूं क्रय हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में गेहूं क्रय कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी, जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा। मण्डलायुक्त, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी एवं क्रय संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि गेहूं खरीद एवं केन्द्रीय पूल में भण्डारण का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे तथा किसी भी कारण से गेहूं खरीद प्रभावित न होने पाए।

————————————

राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) पद्धति पर डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) गाइडलाइन्स–2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बिड डॉक्यूमेण्ट्स के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) पद्धति पर डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) गाइडलाइन्स–2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 02 मार्च, 2019 को शासकीय ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किए गए बिड डॉक्यूमेण्ट्स के अनुक्रम में संशोधित रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी0), कन्सेशन एग्रीमेण्ट्स, कोरिजेण्डम तथा एडेण्डम पर अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

इनमें जनपद गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ में 03–03, प्रयागराज में 02, बुलन्दशहर, मथुरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, रायबरेली, बरेली, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, अयोध्या तथा गोरखपुर में 01–01 बस स्टेशनों का विकास निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद, साहिबाबाद (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), कौशाम्बी (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर (नई भूमि), जनपद आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर, ईदगाह तथा आगरा फोर्ट, जनपद मथुरा में मथुरा (पुराना), जनपद कानपुर नगर में कानपुर सेण्ट्रल (झकरकटी), जनपद वाराणसी में वाराणसी कैण्ट (बस स्टेशन/क्षेत्रीय एवं डिपो

कार्यशाला), जनपद प्रयागराज में सिविल लाइन्स एवं जीरो रोड, जनपद मिर्जापुर में मिर्जापुर (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), जनपद लखनऊ में विभूति खण्ड (बस स्टेशन/क्षेत्रीय एवं डिपो कार्यशाला), अमौसी (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला) तथा चारबाग, जनपद रायबरेली में रायबरेली (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), जनपद बरेली में बरेली (सैटेलाइट्स) (बस स्टेशन/क्षेत्रीय कार्यशाला), जनपद मेरठ में सोहराबगेट (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर (नई भूमि), जनपद अलीगढ़ में रसूलाबाद, अलीगढ़ (बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला), जनपद अयोध्या में अयोध्या (पूर्व फैजाबाद) बस स्टेशन/डिपो कार्यशाला तथा जनपद गोरखपुर में गोरखपुर बस स्टेशन सम्मिलित हैं।

————————————

'उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति–2020' को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति–2020' को मंजूरी प्रदान कर दी है।

भारत सरकार की क्रय नीति के अनुरूप प्रदेश के शासकीय विभागों/उनके अधीनस्थ उपक्रमों में वार्षिक क्रय मूल्य के सापेक्ष कम से कम 20 प्रतिशत क्रय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 16–09–2014 द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्रय नीति–2014 प्रख्यापित की गयी थी।

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 09–11–2018 द्वारा उक्त लक्ष्य को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस 25 प्रतिशत लक्ष्य के अन्दर महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों से क्रय हेतु 03 प्रतिशत, अनूसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों से क्रय हेतु 04 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पूर्व प्रख्यापित उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्रय नीति–2014 के लागू होने के उपरान्त क्रय सम्बन्धी व्यवस्थाओं में हुये परिवर्तनों यथा प्रोक्योरमेन्ट लागू किये जाने, जेम पोर्टल से क्रय की व्यवस्था लागू किये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा अपनी क्रय नीति में परिवर्तन किये जाने आदि के दृष्टिगत पूर्व प्रख्यापित उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्रय नीति–2014 में संशोधन/परिवर्द्धन आवश्यक हो गया।

नवीन उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति–2020 में यथावश्यक संशोधनों को सम्मिलित करते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु निर्धारित वार्षिक क्रय के लक्ष्य में विशेष उपबन्ध के अधीन वार्षिक क्रय का 05 प्रतिशत लक्ष्य ग्रीन प्रोक्योरमेंट के सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय अनुकूल उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों के क्रय या आपूर्ति हेतु निर्धारित किया गया है।

इस निर्णय से प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश में पर्यावरणीय अनुकूल उद्यमों का विकास होगा, जिससे पर्यावरण में सुधार होगा। योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा उनसे जुड़े उद्यमियों/कामगारों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

———————————

उ0प्र0 विधान सभा एवं विधान परिषद के
वर्तमान सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

वर्तमान में विधान मण्डल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

———————

'द उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेज़ टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020' के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने द उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेज़ टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राज्य विधान मण्डल के सत्र में नहीं होने के कारण अध्यादेश का प्रख्यापन किया जाना है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा Destruction of Public and Private Property Vs State of A.P. and others (रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 77/2007, सम्बद्ध रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या–73/2007) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश प्रिवेन्शन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में विधेयक का ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया था। इस ड्राफ्ट के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कमेटी गठित कर पुलिस महानिदेशक एवं अभियोजन निदेशालय से सभी सम्बन्धितों के साथ विचार विमर्श करते हुए 'द उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020' को अंतिम रूप दिया गया।

इस अध्यादेश में हड़ताल, बंद, दंगों, सार्वजनिक हंगामा, विरोध या तत्सम्बन्ध में सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को नुकसान की रोकथाम, सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ कृत्यों की सजा, जुर्माना, सम्पत्ति के दावों को लागू करने, न्यायाधिकरण को नुकसान की जांच और वहां से सम्बन्धित मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है।

————————

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–21) में संशोधन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–21) के विभिन्न प्रस्तरों में संशोधन का निर्णय लिया है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 17 जून, 2015 को किया गया है। मिशन के क्रियान्वयन हेतु 'स्कीम दिशा निर्देश 2015' निर्गत किए गए हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न वर्ग (एल0आई0जी0) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा इस मिशन के 04 कम्पोनेन्ट में से हाउसिंग इन पार्टनर कम्पोनेण्ट के ई0डब्ल्यू0एस0 हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश 1.50 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि 01 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई के लिए 2.50 लाख रुपए सहायता प्राप्त होती है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए पूर्व निर्धारित नीति में अपेक्षित संशोधन किया जाए। योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता अनुभव होती है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

————————

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की लागत में संशोधन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की लागत में संशोधन का निर्णय लिया है।

इसके तहत शासनादेश संख्या–1855/आठ–1–17–80विविध/2010 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को संशोधित करते हुए वर्ष 2019–20 की लागत के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की पूर्व में निर्धारित 4.50 लाख रुपए सीलिंग कॉस्ट को 22.77 वर्ग मी0 कारपेट एरिया के लिए सीलिंग कॉस्ट 06 लाख रुपए तथा 22.77 वर्ग मी0 से 30 वर्ग मी0 तक के कारपेट एरिया के भवनों के लिए सीलिंग कॉस्ट प्रोरेटा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

लागत में यह संशोधन किए जाने पर प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई पर 2.50 लाख रुपए का अनुदान अनुमन्य होगा। अनुदान की धनराशि 2.50 लाख रुपए के अतिरिक्त विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों की लागत शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2017 द्वारा 4.50 लाख रुपए प्रति भवन निर्धारित की गई थी।

———————

जनपद रायबरेली के डलमऊ में
कार्तिक पूर्णिमा मेले के प्रान्तीयकरण का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद रायबरेली के डलमऊ में कार्तिक पूर्णिमा मेले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण प्रान्तीयकरण करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन अथवा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है।

इस मेले के प्रान्तीयकरण के उपरान्त इसका प्रबन्धन जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा किया जाएगा। इस मेले के आयोजन पर होने वाले व्ययभार का वहन शासन द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

————————

जनपद मथुरा में बरसाना–नन्दगांव,
लट्ठमार होली मेले के प्रान्तीयकरण का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद मथुरा के बरसाना–नन्दगांव लट्ठमार होली मेले के प्रान्तीयकरण का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन अथवा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है। मेले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मेले को प्रान्तीयकरण की घोषणा की गई थी।

इस मेले के प्रान्तीयकरण के उपरान्त इसका प्रबन्धन जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा किया जाएगा। इस मेले के आयोजन पर होने वाले व्ययभार का वहन शासन द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। बरसाना–नन्दगांव में लट्ठमार होली मेले का आयोजन वर्तमान समय में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि के सहयोग द्वारा किया जाता है।

————————

जनपद सीतापुर में 84 कोसी होली परिक्रमा मेला, मिश्रिख तीर्थ के प्रान्तीयकरण का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद सीतापुर में 84 कोसी होली परिक्रमा मेला, मिश्रिख तीर्थ के प्रान्तीयकरण का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना के अन्तर्वस्तु में संशोधन अथवा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने तथा मेले के अन्तर्राज्यीय स्वरूप के दृष्टिगत इसकी समुचित व्यवस्था एवं सफल आयोजन हेतु इसके प्रान्तीयकृत करने का निर्णय लिया गया है।

इस मेले के प्रान्तीयकरण के उपरान्त इसका प्रबन्धन जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा किया जाएगा। इस मेले के आयोजन पर होने वाले व्ययभार का वहन शासन द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। 84 कोसी होली परिक्रमा मेला, मिश्रिख तीर्थ, जनपद सीतापुर का आयोजन वर्तमान समय में जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद आदि के सहयोग द्वारा किया जाता है।

———————

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में थानों/पुलिस लाइन/पी0ए0सी0 वाहिनियों/अग्निशमन केन्द्रों के कर्मचारियों हेतु हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष, ट्रांजिट हॉस्टल, प्रशासनिक भवन तथा आवासीय भवनों के ड्रॉइंग/डिजाइन के मानकीकरण/संशोधन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में थानों/पुलिस लाइन/पी0ए0सी0 वाहिनियों/अग्निशमन केन्द्रों के कर्मचारियों हेतु हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष, ट्रांजिट हॉस्टल, प्रशासनिक भवन तथा आवासीय भवनों के ड्रॉइंग/डिजाइन के मानकीकरण/संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

साथ ही, भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत मानक से आंशिक विचलन की अनुमति हेतु अधिकार विभागीय मंत्री को प्राविधानित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, प्रश्नगत कार्यों हेतु भूमि की उपलब्धता कम होने की दशा में कुल क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा 20 प्रतिशत की कमी के विचलन की सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त मंजिल बढ़ाए जाने का अधिकार भी मंत्रिपरिषद द्वारा विभागीय मंत्री को प्रतिनिधानित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने थानों/चौकियों/अग्निशमन केन्द्रों हेतु पूर्व से मानकीकृत ड्रॉइंग/डिजाइन के क्षेत्रफल में क्रमशः 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा 20 प्रतिशत की कमी के विचलन की सीमा में विभागीय मंत्री को शिथिलीकरण अनुमन्य करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया है।

इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में नामित कार्यदायी संस्थाओं को जनपद अम्बेडकरनगर के थाना जैतपुर के ग्राम कटका (नूरपुरकला) में नवीन मॉर्डन थाना के आवासीय भवन के निर्माण कार्य, जनपद खीरी के थाना पडुआ के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद संतकबीर नगर के थाना बेल्हरकला के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य, जनपद सिद्धार्थनगर के नवीन थाना कठेला के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद अमरोहा के थाना रहरा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद वाराणसी के थाना सिंधौरा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद संतकबीर नगर के थाना बेल्हरकला के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद कानपुर देहात के नवीन मॉर्डन पुलिस थाना झींझक के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद खीरी के पलिया में

नवीन मॉर्डन महिला थाने के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद कानपुर नगर के पुलिस चौकी साढ़ को उच्चीकृत कर पुलिस थाना की स्थापना के कार्य, जनपद सीतापुर के थाना नैमिषारण्य के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य, जनपद सिद्धार्थनगर के नवीन थाना शिवनगर डिडई के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य में उल्लिखित कार्यों हेतु वांछित संशोधन अनुमन्य किए जाने एवं अपरिहार्य परिस्थिति में भविष्य में पुलिस विभाग में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में मानक से निर्धारित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा 20 प्रतिशत कमी के सीमा तक विचलन अनुमन्य करने का अधिकार विभागीय मंत्री को प्रतिनिधानित किया गया है।

प्रस्तावित भवनों की वास्तविक लागत एन0बी0सी0 (नेशनल बिल्डिंग कोड) की गाइडलाइंस एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप अन्य आवश्यक मदों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत आगणन में प्राविधानों के अनुरूप होगा।

मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से पुलिस विभाग में कराए जा रहे निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से बिना लागत वृद्धि के कराया जाना सम्भव हो सकेगा। पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्याओं का समाधान करते हुए वर्तमान चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करने हेतु एक मजबूत आधारभूत संरचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। इससे पुलिस कर्मियों को आवास एवं कार्य हेतु बेहतर परिवेश उपलब्ध कराते हुए प्रदेश में वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के साथ अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा, जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास कायम होगा एवं साथ ही अपराधी/अपराधी प्रवृत्ति के लोग हतोत्साहित होंगे।

————————————

पीआईएल सं0–2436/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यापक/सुदृढ़ किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने पीआईएल सं0–2436/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यापक/सुदृढ़ किए जाने हेतु भारत सरकार के उपक्रम ई0सी0आई0एल0 को नॉमिनेशन पर कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में नामित संस्था से प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में अन्य बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने का निर्णय भी लिया है।

जनपद बिजनौर में मा0 न्यायालय में दिनांक 17.12.2019 को घटित घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पीआईएल सं0–2436/2019 इन री सुमोटो रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एण्ड प्रोटेक्शन इन ऑल कोर्ट कैम्पस इन द स्टेट ऑफ यूपी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य कराए जाएंगे :–

(1) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/अधिवक्ताओं इत्यादि के बायोमैट्रिक आधारित परिचय पत्र तैयार कराया जाना।

(2) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु गेट ऑटोमेशन एवं बायोमैट्रिक सिस्टम का व्यवस्थापन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ एवं आजमगढ़/वाराणसी में किए जाने एवं इसका विस्तार समस्त जनपद न्यायालयों में किया जाना।

(3) वादकारियों आदि के दैनिक पास हेतु जनशक्ति की तैनाती एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था।

(4) न्यायालय कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमराज (ऑडियो व वीडियो सहित) का अधिष्ठापन।

(5) अन्य जनपद न्यायालय, जहां न्यायालय परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित नहीं है, वहां न्यायालय कक्ष के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे का अधिष्ठापन।

ज्ञातव्य है कि ई0सी0आई0एल0 एटॉमिक एनर्जी विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। उक्त फर्म द्वारा महत्वपूर्ण रक्षा संयंत्रों व तेल कम्पनियों आदि के साथ अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्पादित कर रही है। ई0सी0आई0एल0 द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व रक्षा संयंत्रों आदि के अंतर्गत सी0सी0टी0वी0 कैमरों/सुरक्षा उपकरणों के स्थापन व क्रियान्वयन का कार्य कर रही है। ई0सी0आई0एल0 मात्र आपूर्तिकर्ता फर्म ही नहीं है, बल्कि स्थापन व अनुरक्षण का कार्य भी करती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के प्रतिष्ठान ई0सी0आई0एल0 को नामांकन स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के कार्य यथा–संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास एवं कार्यालय, उप राज्यपाल भवन, दिल्ली पुलिस (गृह मंत्रालय द्वारा) एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं विधान सभा आदि में सी0सी0टी0वी0 व अन्य सुरक्षा उपकरण के कार्यों को आवंटित किया गया है।

————————

जनपद लखनऊ में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल के निर्माण हेतु प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत 80528.44 लाख रु0 का व्यय प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ के चक गंजरिया, सुल्तानपुर रोड स्थित सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल निर्माण की प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत 80528.44 लाख रुपए के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रस्तावित लागत 82126.14 लाख रुपए के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2020 में 80528.44 लाख रुपए मूल्यांकित की गई है। प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होने के कारण इस व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में मूलतः आर्ट वर्क एवं फिश टैंक की लागत को हटाए जाने, रोड वर्क 14849.57 वर्ग मी0 के स्थान पर 21,000 वर्ग मी0 प्रस्तावित किए जाने, मीटर रूम, गार्ड रूम, डी–वॉटरिंग की लागत अनुमन्य न किए जाने तथा बाह्य विद्युत संयोजन में सेण्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं किए जाने आदि के कारण आगणन को पुनरीक्षित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में कैंसर रोग के उपचार की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है।

————————

जनपद लखनऊ में शारदा कैनाल के दोनों ओर अयोध्या मार्ग से सुलतानपुर मार्ग के मध्य 03–03 लेन मार्ग परियोजना की पुनरीक्षित लागत 29747.63 लाख रु0 का व्यय प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में शारदा कैनाल के दोनों ओर **अयोध्या** मार्ग से सुलतानपुर मार्ग के मध्य 03–03 लेन मार्ग (लम्बाई 10.110 किमी0) के निर्माण की परियोजना की व्यय–वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत 29747.63 लाख रुपए के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना की विभिन्न दरों में वृद्धि होने के कारण परियोजना की लागत पुनरीक्षित की गयी है। परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ज्ञातव्य है कि लखनऊ शहर में बढ़ते हुए यातायात के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में 104.00 किमी0 लम्बाई में रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस रिंग रोड के 10.110 किमी0 लम्बाई के मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा एवं शेष लम्बाई में निर्माण कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा कराया जाना है। इस मार्ग के बन जाने से भारी वाहन लखनऊ शहर के अन्दर न आकर बाहर ही बाहर निकल जाएंगे। इससे शहरवासियों को जाम एवं प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।

————————

जनपद बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम घुघुलपुर स्थित 3.66 एकड़ भूमि परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद बलरामपुर में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम घुघुलपुर स्थित भूखण्ड संख्या–301 मि0 क्षेत्रफल 1.482 हे0 (3.66 एकड़) भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति एवं यात्रियों को इस बस स्टेशन के निर्माण से होने वाली सुविधा एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। निर्णय के उपरान्त इस स्टेशन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

———————

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड के पक्ष में 148.70 करोड़ रु0 की शासकीय गारण्टी दिये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड के पक्ष में 148.70 करोड़ रुपये की शासकीय गारण्टी दिये जाने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के दृष्टिगत नाबार्ड की वेयर हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में 40 मण्डी स्थलों पर 05–05 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाना है। इससे कुल 02 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्मित होंगे। इनकी कुल लागत 198.25 करोड़ रुपये है। इसकी 75 प्रतिशत राशि 148.70 करोड़ रुपये नाबार्ड से प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा शासकीय गारण्टी दिये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष 25 प्रतिशत धनराशि निगम द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। वेयर हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के तहत नाबार्ड 10 वर्षों के लिए 3.90 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा।

————————

वन एवं वन्यजीव विभाग में लागू कैश साख सीमा (सी0सी0एल0) प्रणाली को समाप्त कर अन्य विभागों की भांति सामान्य कोषागार प्रणाली लागू करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने वन एवं वन्यजीव विभाग में लागू कैश साख सीमा (सी0सी0एल0) प्रणाली को समाप्त कर अन्य विभागों की भांति सामान्य कोषागार प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वन एवं वन्यजीव विभाग में विभागीय लेन–देनों व लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

इसके तहत मंत्रिपरिषद द्वारा वन एवं वन्यजीव विभाग में वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01–04–2020 से) सभी मदों हेतु सी0सी0एल0 प्रणाली को सामाप्त कर इसके स्थान पर अन्य विभागों में प्रचलित ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया गया है।यह निर्णय भी लिया गया है कि सी0सी0एल0 के स्थान पर बजट आवंटन के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रभाग के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार की ऑनलाइन प्रणाली से बिल जनरेट कर कोषागारों को पारण हेतु प्रस्तुत किये जाये। बिल पारण, लेखा संकलन व लेखा मिलान की वही प्रक्रिया अपनायी जाय, जो कोषागार प्रणाली से आच्छादित अन्य विभागों में अपनायी जाती है।

यह फैसला भी लिया गया है कि वन एवं वन्यजीव विभाग के प्रभागों द्वारा सी0सी0एल0 प्रणाली के अन्तर्गत मासिक लेखे तैयार कर सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। इसके स्थान पर विभाग के मासिक लेखे अन्य विभागों की भांति कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत तैयार कर कोषागारों द्वारा महालेखाकार को प्रेषित किए जाएं। वन एवं वन्यजीव विभाग में जमा साख सीमा (डिपाजिट क्रेडिट लिमिट) की वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत बनाये रखने का निर्णय भी लिया गया है।

————————

केन्द्रीय वित्त आयोग तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में संहत निक्षेप निधि (कन्सॉलिडेटेड सिंकिंग फण्ड) के सृजन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय वित्त आयोग तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार के अदत्त ऋण दायित्वों (Outstanding debt liabilities) के मोचन हेतु संहत निक्षेप निधि (कन्सॉलिडेटेड सिंकिंग फण्ड) के सृजन का निर्णय लिया है। संहत निक्षेप निधि के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली अधिसूचना के आलेख को भी अनुमोदित कर दिया गया है। अधिसूचना का आलेख भारतीय रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स को संज्ञान में लेते हुए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के अदत्त ऋण दायित्वों के मोचन हेतु निधि सृजित होने से प्रदेश सरकार के बाजार ऋणों के लिये निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, निधि के सृजन से राज्य सरकार को अतिरिक्त विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी उपलब्ध होगा। संहत निक्षेप निधि में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त में अदत्त ऋण दायित्वों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि समेकित निधि से संहत निक्षेप निधि में अन्तरित की जायेगी। संहत निक्षेप निधि में संचित धनराशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार की डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, भारत सरकार की स्पेशल सिक्योरिटीज तथा अन्य राज्यों के विकास ऋणों में किया जाएगा। निवेश से प्राप्त ब्याज संहत निक्षेप निधि में जमा होगा, जिसका उपयोग राज्य सरकार की ऋण देयताओं के मोचन हेतु किया जायेगा।

————————————

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बहुमंजिला पार्किंग एवं अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विस्तार के लिए बहुमंजिला पार्किंग एवं अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण हेतु मा0 न्यायमूर्तिगण के 12 बंगले, टाईप–1 के 80 आवास, 02 रिकॉर्ड रूम कक्ष, सम्पर्क गलियारा एवं पुलिस बैरक को ध्वस्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनके ध्वस्तीकरण एवं अवमूल्यन के उपरान्त आगणित धनराशि 5,22,51,526 रुपए (रुपए पांच करोड़ बाइस लाख इक्यावन हजार पांच सौ छब्बीस मात्र) को बट्टे खाते में डाले जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।

———————

उ0प्र0 पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2018 में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2018 में नियम 4 दो (ख) एवं (ग) के अधीन संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

संशोधन के अनुसार पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो पथ विक्रेताओं द्वारा स्वयं में से यथा विहित रीति से निर्वाचित किए जाएंगे। परन्तु यह कि पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली इस प्रकार निर्वाचित एक तिहाई सदस्य महिला पथ विक्रेता होंगी। साथ ही, पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को विद्यमान सरकारी नियमों के अनुसार सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों को समुचित प्रतिनिधित्व, नाम–निर्देशन द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो समिति की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

यह नियमावली उत्तर प्रदेश के समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों पर प्रभावी होगी।

————————

उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए गए हैं।

लेटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तों के अनुसार निर्धारित निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन के उपरान्त मेसर्स श्री सीमेण्ट लि0 बुलन्दशहर, मेसर्स आर0सी0सी0पी0एल0 प्रा0लि0 रायबरेली, मेसर्स वरुण बेवरेजेज लि0 सण्डीला हरदोई, मेसर्स पसवारा पेपर्स लि0 मेरठ एवं मेसर्स गैलेण्ट इस्पात लि0 गोरखपुर द्वारा क्रमशः 21.04 करोड़ रुपए, 58.80 करोड़ रुपए, 48.23 करोड़ रुपए, 1.70 करोड़ रुपए एवं 33.39 करोड़ रुपए (कुल 163.18 करोड़ रुपए) राशि की वित्तीय सुविधाएं वितरित की जाएंगी।

————————————

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या–311/77–6–2020–6(एम)/2018 दिनांक 29 जनवरी, 2020 के माध्यम से मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 बुलन्दशहर को 175 करोड़ रुपए पूंजी निवेश के साथ जिला बुलन्दशहर (पश्चिमांचल) में इथेनॉल उत्पादन हेतु डिस्टलरी की विविधीकरण परियोजना के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के तहत विभिन्न सुविधाएं अनुमोदित की गई हैं। इस इकाई को कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति की सुविधा इस कारण अनुमन्य नहीं है, क्योंकि नियमावली के अनुसार केवल नई इकाइयों को ही यह सुविधा अनुमन्य है। अतः इस शासनादेश में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

चूंकि मेसर्स के0आर0 पल्प एण्ड पेपर लि0, शाहजहांपुर अपनी पूर्व स्थापित पल्प एण्ड पेपर इकाई का विस्तारीकरण कर रही है, अतएव कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति की सुविधा इकाई को अनुमन्य नहीं है। तद्नुसार शासनादेश संख्या–888/77–6–19–6(एम)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 में संशोधन का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

इस प्रकार, पूर्व अनुमोदित प्रस्ताव मेसर्स के0आर0 पल्प एण्ड पेपर लि0 शाहजहांपुर एवं मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 बुलन्दशहर के प्रकरणों में निर्गत क्रमशः शासनादेश संख्या–888/77–6–19–6(एम)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के प्रस्तर–8 एवं शासनादेश संख्या–311/77–6–2020–6(एम)/2018 दिनांक 29 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–2 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

———————————

उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) की (आठवां संशोधन) नियमावली, 2020 का प्रारूप अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तों) की (आठवां संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 बनायी गयी थी।

वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव पद की शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अधिमान के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को प्रख्यापित की गयी थी।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 187(1) में राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय कर्मचारिवृंद की व्यवस्था है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय दोनों ही संविधान के उक्त अनुच्छेद से आच्छादित होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों में एकरूपता रखा जाना समीचीन है। अतएव उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के परिप्रेक्ष्य में समरूपता के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 के नियम–9 क बढ़ाए जाने के साथ नियम–10 में संशोधन किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 1974 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 द्वारा प्रमुख सचिव, विधान परिषद के पद की अधिवर्षता आयु/सेवा अवधि तथा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अधिमान से सम्बन्धित संशोधनों से समरूपता के आधार पर प्रमुख सचिव, विधान सभा के पद से सम्बन्धित तद्विषयक संशोधन किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (आठवां संशोधन) नियमावली, 2020 का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है।

————————————

कछुआ वन्यजीव विहार, रामनगर, वाराणसी को विखण्डित करने एवं नवादा, प्रयागराज के निकट गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध कि0मी0–940 से कि0मी0–970 के मध्य 30 कि0मी0 में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्यजीव अधिसूचित किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की 8वीं बैठक की संस्तुति पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में अधिसूचना संख्या–1485/14–4–2008–823/2008 दिनांक 21 मई, 2009 द्वारा अधिसूचित कछुआ वन्य जीव विहार, रामनगर, वाराणसी का विखण्डन एवं इसके स्थान पर नवादा, जनपद प्रयागराज के निकट प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर के अंतर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध कि0मी0–940 से कि0मी0–970 के मध्य 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को नये कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त तत्सम्बन्धी अधिसूचनाओं को नियमानुसार प्रकाशित कराया जाएगा। अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के आलोक में वन्यजीव विहार के अंतर्गत क्षेत्र में अधिकारों के विनिश्चयन का कार्य जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा तथा इस क्षेत्र के वैज्ञानिक प्रबन्धन के लिए प्रबन्ध योजना विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

———————————

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (अट्ठाईसवां संशोधन) विनियमावली, 2020 के प्रख्यापन को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) (अट्ठाईसवां संशोधन) विनियमावली, 2020 के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

इसके तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन सातवें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित किया गया है। अध्यक्ष को 80 हजार रुपए प्रतिमास नियत वेतन के स्थान पर 2 लाख 25 हजार रुपए प्रतिमास नियत वेतन तथा प्रत्येक अन्य सदस्य को 64 हजार रुपए प्रतिमास नियत वेतन के स्थान पर 01 लाख 82 हजार 200 रुपए प्रतिमास नियत वेतन संदत्त किया जाएगा। यह संशोधन 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगे।

———————————

'उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' और समूह 'ग' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020' के प्रख्यापन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह 'ख' और समूह 'ग' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020' के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के समूह 'ख' के 2 विद्यमान पदों पर पदोन्नति (वर्ष 1983 में प्रख्यापित सेवा नियमावली में इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी का उल्लेख न होने के कारण) की कार्यवाही बाधित है। नियमावली के नियम 3 को संशोधित करते हुए सचिव/प्रमुख सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है।

———————

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम–2019 को उ0प्र0 के राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ पर लागू किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम–2019 को उ0प्र0 के राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ पर जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष आदि पर लागू किए जाने का निर्णय लिया है।

वर्तमान में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपायों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (डिप्लोमा) विनियम–2019 लागू किया गया है, जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी किया गया है, परन्तु मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में विनियम–2010 के अनुसार शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमान की संस्तुतियों को शासनादेश संख्या–709/सोलह–2–2018–138(डब्लू)/99 दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा दिनांक 03 मई, 2018 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया था। अतएव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम–2019 को उपर्युक्त अंकित व्यवस्थानुसार दिनांक 03 मई, 2018 से ही लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के नियंत्रणाधीन संस्थाओं में शैक्षिक कैडर एवं भर्ती के स्रोत तथा शैक्षिक अर्हता आदि का निर्धारण सेवा नियमावली–1990 यथासंशोधन–1998 एवं 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जा रहा था।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में शासनादेश दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा शिक्षकों/अन्य पदों की शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमान आदि का निर्धारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम–2010 के अनुरूप किया गया था। राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में सृजित पदों के सापेक्ष भरे पदों पर वेतन–भत्ते मद में कुल 20.64 करोड़ रुपए तथा सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं के कार्मिकों हेतु 2.96 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त व्ययभार अनुमानित है।

————————————

आतंकवाद निरोधक दस्ता हेतु 10 स्कॉर्पियो एवं 03 मारुति सियाज डेल्टा वाहनों के क्रय को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ हेतु 10 स्कॉर्पियो एवं 03 मारुति सियाज डेल्टा वाहनों के क्रय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत, 10 स्कॉर्पियो वाहनों की खरीद के लिए 1,43,85,670 रुपये तथा 03 मारुति सियाज डेल्टा वाहनों की खरीद के लिए 26,55,720 रुपये निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

———————————

राजभवन हेतु स्कोडा कम्पनी की **Superb (SKODA)** कार क्रय को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने राजभवन की पेट्रोल चालित एम्बेस्डर कार के स्थान पर स्कोडा कम्पनी की Superb (SKODA) कार क्रय किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

————————

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा0 न्यायाधीशगणों के उपयोगार्थ 11 कोरोला आल्टिस कार प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा0 न्यायाधीशगणों के उपयोगार्थ 11 कोरोला आल्टिस कार प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

———————

PN-CM-Cabinet Decision-13 March, 2020.doc